

अध्याय - 1

संविधान

क्या और क्यों?

संविधान एक कानून मौलिक दस्तावेज है जिसे हम किसी विशेष परिभाषा में बांध नहीं सकते। इसे मूल तौर पर हम देश की आधारभूत तथा सर्वोत्तर विधि कह सकते हैं। इन विधियों के द्वारा राज्य के तीन प्रमुख अंगों यथा:- विधायिका, कार्यपालिका एवम् न्यायपालिका को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान किया जाता है।

किसी भी समूह को अनुशासन तथा सर्वसम्मत रूप में विकास करने के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ आधारभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो समूह के सभी सदस्यों को बुनियादी तौर पर पता हो ताकि आपस में एक मूल समझ तथा समन्वय कायम रह सके। इसी समझ तथा समन्वय को लागू करने का कार्य संविधान करता है।

संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है तथा निर्णय तथा संशोधन करने की शक्ति को भी स्पष्ट करता है। इसके साथ ही यह सरकार के सृजन तथा उसके द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों का भी रास्ता तय करता है।

इसके अलावा संविधान एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है जिसके द्वारा सरकार कुछ सृजनात्मक कार्य कर सके तथा समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को न्यायपूर्ण तरीके से फलीभूत कर सके। इसे हम “न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कुंजी” भी कह सकते हैं।

कोई भी संविधान किसी राष्ट्र विशेष की आधारभूत पहचान का कार्य करता है। इसके ही द्वारा किसी राष्ट्र विशेष का नागरिक अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और विभिन्न स्वतंत्रताओं का उपयोग करता है। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है जिसके द्वारा हम अपने कर्तव्य, अधिकार तथा सीमाओं के बारे में जान पाते हैं।

संविधान के द्वारा ही शासन की शक्तियों का निर्धारण होता है। जनता के अधिकार तय किए जाते हैं और शासक तथा शासितों के संबंधों का समायोजन भी होता है।

वस्तुतः प्रत्येक राज्य का अपना-अपना संविधान होता है या फिर वह राज्य लोकतंत्र में विश्वास रखता हो या अधिनायकवाद में। इसके बावजूद “संविधान” तथा “संवैधानिक राज्य” शब्द लोकतांत्रिक राजनीतिक तंत्र का पर्याय बन गया है।

अतः संवैधानिक राज्य से तात्पर्य है:-

1. कानून का शासन
2. संविधान के माध्य से शासकों के अनियंत्रित शक्ति पर नियंत्रण यानी सीमित शासन)
3. शक्ति का विभाजन
4. जनता के मौलिक अधिकारों एवम् कर्तव्यों को सुनिश्चित करना।

“संविधान” शब्द की उत्पत्ति:-

- संविधान को अंग्रेजी में Constitution कहते हैं। मूलतः इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द “कॉन्स्टीट्यूटस (Constitution) से हुई है जिसका अर्थ “शासन करने के लिए सिद्धांत” होता है।
- आधुनिक युग का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त-राज्य अमेरिका का है जिसे 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था।
- ब्रिटेन का संविधान कोई लिखित संविधान नहीं है। यह विभिन्न दस्तावेजों तथा निर्णयों का पारम्परिक सम्मिश्रण है जो प्रयोग में लाते-लाते एक नियम बना गया।

संविधान का उद्देश्य:-

1. सरकार के प्रमुख अंगों का सृजन करना। उदाहरण:- विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायापालिका आदि।
2. सरकार के अंगों की शक्तियों, कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्धारण करना।
3. सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना।
4. नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवम् मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करना।
5. सरकार के विभिन्न तंत्रों के बीच शक्ति विभाजन करना।

भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा:-

सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में यह कहा कि “भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए” (फरवरी - 1922)

इसके अलावा हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निम्न तरीके से संग्रहित करते हैं:-

भारत का संविधान राजनैतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मिलित विकसित प्रतिरूप है। ऐसे लोकतंत्र एवम् संसद जैसे प्रतिनिधित्व संस्था भारत के लिए नई नहीं है। इसका प्राचीनतम रूप हमें सिंधु घाटी सभ्यता के काल में देखने को मिलता है। यहां के योजना बद्ध निर्माण कार्य जैसे:- भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था तथा मापतोल और लिपि का प्रचलन कहीं न कहीं एक संगठन, एक व्यवस्था व एक शासन का द्योतक है। इसी प्रकार बौद्धिक काल में सभा और समिति तथा मौर्यकालीन तंत्र में विभिन्न प्रशासनिक समितियों का उल्लेख मिलती है। एक प्रभावी शासन व्यवस्था का प्रभावी स्वरूप

हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दिखायी पड़ता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक का शिलालेख व यूनानी रचनाओं में मौर्यकालीन शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है।

मौर्य शासन के कर्तव्यों के विषय में कौटिल्य ने लिखा है कि “अपनी प्रजा के हित में निरंतर कार्य करना ही व्रत है। प्रशासन का कार्य ही उसके लिए उच्चतम धार्मिक कल्प है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही उसका सर्वोच्च दान है”। अतः मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सक्षम, सुनियोजित तथा सुसंगठित शासन प्रणाली थी। “ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासन काल के प्रशासन से कहीं अधिक संगठित है।”

इसी प्रकार महाजनपद काल, मौर्यकाल, गुप्तकाल तथा राजपूत काल से प्रशासनिक व्यवस्था निरंतर गुजरते हुए सल्तनतकाल, मुगलकाल में उत्तरोत्तर प्रक्रियागत होती समय के काल चक्र में लोप नहीं हुआ तथा इसे आधुनिक ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढाँचे में भी यत्र-तत्र देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान की जड़े भूतकाल में हैं लेकिन भारतीय संविधान के विकास पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था की क्रियाविधि एवम् राष्ट्रीय आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हुआ है जिसका क्रमानुसार विवरण निम्न है:-

(क) रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रयास प्रारम्भ हुआ। इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।

नोट- 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करते हुए कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया।

(ख) 1833 का चार्टर एक्ट

इसके द्वारा विधायिका एवम् कार्यपालिका के बीच शक्ति-विभाजन को एक प्रारंभिक रूप दिया गया जो कोई साफ नजरिया पेश नहीं करता था। यद्यपि इसके तहत गवर्नर जनरल के विधि निर्माण अधिवेशन यानी भारत परिषद् तथा उसके कार्यपालक अधिवेशन यानी भारत सरकार के बीच अंतर किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधि निर्माण परिषद् में एक विधिवेता होता था।

(ग) 1853 का चार्टर एक्ट

इस एक्ट के द्वारा विधायिका एवम् प्रशासनिक कार्यकरण को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों के लिए परिषद् में 6 विशेष विधि सदस्यों को जोड़ा गया। इन सदस्यों को विधि एवम् विनियम के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद् में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। केन्द्रीय विधान परिषद् में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया।

(घ) भारत शासन अधिनियम, 1858

इस एक्ट ने भारत की प्रभुसत्ता कम्पनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दी थी। इस अधिनियम के अनुसार सम्राट को अत्याधिक नियंत्रक शक्तियाँ दी गई थीं। इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था।

1858 के अधिनियम के तहत प्रारम्भ की गई प्रणाली के प्रमुख लक्षण निम्न थे:-

- (1) देश का प्रशासन न केवल ऐकिक था बल्कि कठोरतापूर्वक केन्द्रीकृत था।
- (2) राज्यक्षेत्रों को प्रांतों में बाँटा गया तथा प्रत्येक के शीर्ष पर एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद् थी। प्रांतीय सरकारें भारत सरकार की सिर्फ एक अभिकरण के तौर पर थी। उन्हें प्रांतीय शासन से संबंधित सभी-मामलों में गवर्नर जनरल के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन काम करना पड़ता था।
- (3) कार्यों का कोई पृथक्करण नहीं था। भारत के शासन के लिए सभी प्राधिकार सिविल और सैनिक, कार्यपालक और विधायी सपरिषद् गवर्नर जनरल में निहित थे जो सेक्रेटरी और स्टेट के प्रति उत्तरदायी था।
- (4) भारतीय प्रशासन पर सेक्रेटरी और स्टेट का अत्याधिक नियंत्रण था। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन या राजस्व के किसी भी प्रकार से संबंधित कार्यों, संक्रियाओं और बातों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में निहित किया गया था।

ब्रिटिश संसद के प्रति अंतिम रूप से उत्तरदायी रहते हुए वह अपने अभिकर्ता गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का प्रशासन चलाता था। उसी का वाक्य अंतिम था चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य व्यौरों के विषय में।

- (5) प्रशासन का संपूर्ण तंत्र अधिकार तंत्र था, जिसका जनता से कोई लेना-देना नहीं था।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861:- 1861 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का नाममात्र के लिए समावेश किया गया था। वैसे इस अधिनियम की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित थी-

1. ब्रिटिश सरकार ने वायसराय तथा प्रांतों के गवर्नर के अधिकार बढ़ा दिये।
2. व्यवस्थापन के कार्यों में गवर्नर जनरल को भारतीयों के साथ मिलकर कार्य करने का अधिकार दिया गया।
3. बंगाल तथा मद्रास की सरकारों को व्यवस्थापन का अधिकार दिया गया तथा अन्य प्रांतों में भी इसके समान व्यवस्थापिका परिषद् के लिए प्रावधान किया गया।
4. 'पोर्टफोलियो' व्यवस्था का प्रारंभ हुआ।
5. भारत के वायसराय को विपत्ति में अध्यादेश निकालने का अधिकार दिया गया।
6. गैर-सरकारी सदस्यों के साथ व्यवस्थापना व्यवस्था को आरंभ किया गया।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892:- इस अधिनियम द्वारा भारतीय और प्रांतीय विधान परिषदों के बारे में उल्लिखित स्थिति में दो सुधार किये गये जो निम्नलिखित हैं:-

1. भारतीय विधान परिषद् में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया, किंतु गैर-सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद् द्वारा नाम निर्देशित होने लगे। प्रांतीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने लगे। ये स्थानीय निकाय थे। विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगरपालिका आदि।
2. परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक कथन अर्थात् बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गयी। इस अधिनियम की विशेषता इसका उद्देश्य था। जिसे भारत के लिए 'अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' ने इस प्रकार स्पष्ट किया था, 'यह भारत के शासन का आधार विस्तृत करने और उसके कृत्यों को बढ़ाने के लिए और गैर-सरकारी तथा भारत के समाज के स्थानीय तत्वों को शासन के काम में भाग लेने का अवसर देने के लिए अधिनियम है।'

1909 का भारत परिषद् अधिनियम (मार्ले मिंटो सुधार):- इस अधिनियम का उद्देश्य उदारवादियों तथा उग्रवादियों की फूट का लाभ उठाना और 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग के सहयोग से मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था। इसमें निम्न प्रावधान थे:-

1. केन्द्रीय परिषद् में विधि से संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई।
2. अब 69 सदस्य होंगे जिसमें गवर्नर जनरल+7 सदस्य+1 असाधारण सदस्य शामिल था।
3. अतिरिक्त 60 सदस्यों में से 33 मनोनीत और 27 निर्वाचित होने थे और इस निर्वाचन में विशेष निर्वाचन पद्धति से अधिक चयन होता था।
4. परिषद् के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई और बजट पर बहस करने के साथ ही सामान्य सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया।
5. प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
6. केन्द्रीय तथा प्रांतीय वायसराय की कार्यकारणी परिषद् में एक-एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारणी में पहले भारतीय एस०पी० सिन्हा थे।

इस एक्ट का सबसे विवादित प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था जिसमें न केवल सांप्रदायिक नेतृत्व दिया गया बल्कि तुष्टीकरण के लिए उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया जो पहले ही लीगी नेताओं एवं सरकार के बीच शिमला में मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। तत्कालीन राज्य सचिव मार्ले ने मिंटो को लिखा "हम भारत में ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल अवश्य ही विषैला होगा" इस एक्ट को "हितैषी निरंकुश वाद" कहा जाता है तथा के० एम० मुंशी के अनुसार इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोट दिया।

1919 का भारत सरकार अधिनियम (मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार):- इस अधिनियम में निम्न प्रावधान थे:-

1. भारत राज्य सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से दिया जाने लगा।
2. वायसराय के कुछ अधिकारों को लेकर एक नये पदाधिकारी (भारतीय उच्चायुक्त) की नियुक्ति की गई जिसका वेतन भारत से दिया जाना था।
3. इस एक्ट ने केन्द्रीय शासन व्यवस्था में तो उत्तरदायित्व लाने का कोई प्रयास नहीं किया किन्तु प्रान्तों में इसका आरंभ अवश्य किया।
4. अब वायसराय की कार्यकारणी में आठ सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होने लगे।
5. प्रान्तों में द्वैध शासन लागू किया, जिसके तहत शासन के विषयों को आरक्षित एवं हस्तान्तरित विषयों में बाँटा गया। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल व उसकी परिषद् का और हस्तान्तरित विषयों पर मंत्री विधान परिषद् को कानून बनाने का अधिकार था।
7. प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया-1. **आरक्षित**- पुलिस, राजस्व, वित्त, न्याय, सिंचाई आदि, 2. **हस्तान्तरित**- स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक प्रबंधन, कृषि विभाग तौलमाप व सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि।
8. इस तरह विषयों का बंटवारा अस्पष्ट और विरोधाभासी बना रहा और मंत्रिपरिषद् की गवर्नर पर निर्भरता बनाए रखी गई।
9. केन्द्र में 'द्विसदनीय व्यवस्था' लागू की गई जिसमें राज्य परिषद् उच्च सदन थी तो केन्द्रीय विधान सभा निम्न सदन थी।
10. केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था जिसे वायसराय बढ़ा भी सकता था।
11. राज्य परिषद् में 60 सदस्य थे जिसमें 26 मनोनीत व 34 निर्वाचित होने थे। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था।
12. महिलाओं को अभी सदस्यता का अधिकार नहीं प्राप्त था।
13. केन्द्रीय विधान सभा में 145 सदस्य होने थे जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होने थे।
14. किन्तु मताधिकार केवल उन्हें दिया गया जिनकी वार्षिक आय 10,000 रु० थी।
15. सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर इसे एंग्लो इण्डियन तथा सिक्खों तक पहुँचा दिया गया।
16. विशेष यह था कि अब विधान परिषद् के सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों पर मताधिकार भी दे दिया गया।
17. कांग्रेस ने इसे असंतोषप्रद अधिनियम कहा।

1935 का भारत सरकार अधिनियम:- इस एक्ट में 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थी। 1919 के एक्ट से आगे बढ़ते हुए प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई किन्तु केन्द्र में द्वैध शासन लगा दिया गया।

संघीय ढांचा:- ब्रिटिश प्रांतों तथा मुख्य आयुक्त के प्रांतों को अनिवार्यतः शामिल कर तथा देशी रियासतों को ऐच्छिक सहभागिता के आधार पर भारत संघ के निर्माण की योजना। यह संघ तभी अस्तित्व में आ सकेगा। जब रियासतों के न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें शामिल हों। रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली रियासतें भी इसमें शामिल हों।

द्विसदनीय ढांचा- प्रथम राज्य परिषद जो स्थाई सभा, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं तथा कुल सदस्य 260 (156 प्रांतों से चुने गये+104 रियासतों से मनोनीत सदस्य) (156+104) होंगे।

द्वितीय संघीय सभा- इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए तथा कुल सदस्य 375 (250 सदस्य प्रांतों से और 125 सदस्य रियासतों से) होंगे।

- वर्मा को भारत से और सिंध को मुम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया।
- सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया।
- भारत में संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की गई।
- नेहरू ने इसे 'दासता का चार्टर' कहा है और इसे "अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी" की संज्ञा दी।
- जिन्ना ने पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत करार दिया।

कैबिनेट मिशन 1946:- मार्च 1946 में तीन सदस्यीय पैथिक लारेंस की अध्यक्षता वाला कैबिनेट मिशन भारत आया। मिशन के प्रस्तावों में भारत को संघ बनाने और उसका विभाजन करने के बीच समझौता लाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन इनके प्रस्तावों पर आमसहमति नहीं बन पाई। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पृथक् संविधान सभा और मुसलमानों के लिए पृथक् राज्य के दावे को स्पष्टतः नामंजूर कर दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसलिए अस्वीकार किया, क्योंकि इस मिशन के तहत प्रांतीय विधानमंडलों को तीन समूहों में बाँटने उनके अनिवार्य सामूहीकरण करने तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के मनोनयन जैसे प्रावधान से कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। परन्तु फिर भी संविधान सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए बुनियादी ढाँचे का प्रारूप पेश किया और संविधान निर्माण-निकाय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया। साथ ही इसने संविधान सभा के गठन के लिए स्पष्ट एवं ठोस प्रारूप प्रस्तुत किया जो इस प्रकार था-

- आयोग के अनुसार संविधान सभा के गठन की सर्वाधिक न्यायोजित एवं व्यवहार्य योजना यह थी कि हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभा का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जायें।
- प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जायें। मोटे तौर पर यह अनुपात 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का रखा गया, जिससे ब्रिटिश शासक के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 और देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई।
- प्रत्येक प्रांत में इन सीटों को तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख एवं सामान्य के बीच उनके जनसंख्या के अनुपात में बाँटा गया।
- प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुना।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया उनके परामर्श से तय की गयी थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से हट कर भारत को पूर्ण स्वाधीनता मिली।
- इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम को संशोधित कर भारत एवं पाकिस्तान दोनों का अलग-अलग अंतरिम संविधान प्राप्त हुआ। इसके अनुसार तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 से भारत तथा पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य होगा। तथा ब्रिटिश राज से मुक्त होगा।
- दोनों राज्य अपनी-अपनी संविधान सभा में अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से पृथक् होने का अधिकार होगा।
- जब तक नया संविधान बनता है, तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन चलेगा।
- दोनों राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाये गये कानूनों को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि ये ब्रिटिश कानून या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से मेल नहीं रखते।
- भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसम्बर 1946 को हुई थी। 14 अगस्त 1947 को पुनः इसके बैठक बुलाई गई और इसने भारत के लिए नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी।

संविधान सभा

कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। 9 दिसम्बर 1946 को आहूत संविधान सभा की बैठक में कांग्रेस भी सम्मिलित हुई यद्यपि वह उसकी कई धाराओं से असहमत थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर 1946 को आरम्भ हुआ। सभा के सदस्यों में कांग्रेस में पांच भूतपूर्व सदस्य, प्रांतीय कांग्रेस समितियों के ग्यारह अध्यक्ष, आल इंडिया मुस्लिम लीग कार्य समिति के आठ सदस्य, मुस्लिम लीग की प्रांतीय समितियों के दो अध्यक्ष, प्रांतों के आठ मुख्यमंत्री, दस मंत्री, 155 विधान सभा सदस्य, हिंदू महासभा के तीन भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति, कुलपति, पत्रकार एवं लेखक थे।

11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाये गये। 22 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। साढ़े तीन वर्ष की अवधि में संविधान सभा की बैठक मात्र 161 दिन हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित संविधान सभा की कई सीमाएं थी। सभा का गठन ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। इस प्रक्रिया में संविधान सभा जो संविधान बनाती उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना था। इधर ब्रिटेन द्वारा भारत में स्वशासन के विकास की कल्पना स्पष्ट रूप से ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में ही की गयी थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर ये सभी सीमायें स्वतः समाप्त हो गयीं।

भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रों में विभाजित हो जाने के कारण भारतीय संविधान सभा की संरचना को पुनः गठित करना पड़ा। प्रथमतः इसकी सदस्य संख्या में कमी की गयी क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, बंगाल, पंजाब तथा असम के सिलहट जिले के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गये। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नये निर्वाचन हुए। संविधान सभा की बैठक जब पुनः 31 अक्टूबर 1947 को आहूत की गयी तो सदन की सदस्यता घटकर 299 (पूर्व में 389) ही रह गयी। इनमें से 284 सदस्य ही 26 नवम्बर 1949 को उपस्थित थे। जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।

संविधान निर्माण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) द्वारा किया गया जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गयी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर थे।

प्रस्तावों को शामिल करते हुए भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। जिसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा विचार करने की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 1949 को पूर्ण हुई। तृतीय वाचन हेतु संविधान सभा की बैठक 14 नवम्बर 1949 को आरम्भ हुई और यह वाचन 26 नवम्बर 1949 को समाप्त हुआ। सभा के सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसी तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर करके उसे पारित घोषित कर दिया।

लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे।

इस तरह संविधान सभा द्वारा संविधान बना दिया गया। जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संविधान को लागू किया गया। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमता और दूर दृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है, बल्कि एक जीवन सच्चाई भी है जबकि दुनिया के अन्य सभी संविधान कागजी पोथो में ही दबकर रह गए। यद्यपि कि भारतीय संविधान में समय, स्थान एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता को समायोजित करने हेतु 100 से अधिक संशोधन भी किए गए और अन्य संशोधन अपनी संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया की कतार में भी है।

संविधान सभा की आलोचना

आलोचकों ने निम्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है:-

1. **यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी-** आलोचकों ने दलीलें दी हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था।
2. **संप्रभुता का अभाव-** आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी।
3. **समय की बर्बादी-** आलोचकों के अनुसार, संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था।
4. **कांग्रेस का प्रभुत्व-** आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, "संविधान सभा एक-दलीय देश का एक-दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।"
5. **वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व-** यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार, संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था।
6. **हिंदुओं का प्रभुत्व-** कुछ आलोचकों के अनुसार, संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विसकाउंट ने इसे 'हिंदुओं का निकाय' कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि, संविधान सभा ने 'भारत के केवल एक बड़े समुदाय' का प्रतिनिधित्व किया।

संविधान सभा की समितियाँ:-

संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया था:-

समितियाँ	अध्यक्ष
प्रारूप समिति:-	डॉ. वी. आर. अम्बेडकर
कार्य संचालन समिति	के.एम. मुंशी
संघ शक्ति समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू
मूलअधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
संघ संविधान समिति	पं. जवाहरलाल नेहरू
प्रक्रिया समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
झंडा समिति	जे. बी. कृपलानी
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को ऐसा संविधान दे सके। जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यहीं वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है, बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है जबकि दुनिया के अन्य अनेक संविधान कागजी पोथों में ही दब कर रह गए।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न विदेशी संविधानों का अध्ययन करके अनेक श्रेष्ठ तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया। कुछ सदस्यों का यह कहना था कि विदेशी तत्व भारतीय परिस्थिति में अनुकूलन स्थापित न हो पायेंगे परन्तु जहां व्यवहार का प्रश्न है, आज संविधान को लागू हुए 60 वर्ष से अधिक हो गये और भारतीय संविधान निर्विवाद रूप से चलता रहा। जबकि भारत के पड़ोसी राज्य म्यानमार, पाकिस्तान इत्यादि में संविधान का उदय और उसके समाप्त होने में अधिक अंतर नहीं था। जहां तक भारतीय संविधान की विशेषताओं का प्रश्न है भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान का कानून है। शासन से सम्बन्धित मौलिक नियमों को संविधान सभा के द्वारा लिपिबद्ध किया और वर्तमान में इसमें 445 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं जबकि कनाडा के संविधान में 147 व आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा अमरीकी संविधान में मात्र 10 अनुच्छेद हैं।

डॉ. वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा था **“भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांतिकाल एवं युद्धकाल में देश की एकता बनाए रखने की क्षमता है। वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है।”**

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

विशालता एवं लिपिबद्धता:- भारतीय संविधान सर्वाधिक विशाल लिखित संविधान है। साधारणतया संविधान के इतने विशाल रूप विरले ही मिलते हैं। भारतीय संविधान ने विशालता इसलिए ग्रहण की कि उसमें विश्व के लगभग सभी प्रमुख संविधानों का और अपने देश के पिछले संविधानिक उपबंधों के अनुभवों का पूर्ण समन्वय किया गया। उसमें भारतीय संघ के सभी महत्वपूर्ण अंगों के पृथक प्रशासनिक स्वरूप और विभिन्न अंगों के बीच परस्पर संबंधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। संविधान में संकट कालीन उपबंधों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। मूल संविधान 22 भागों में विभक्त था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी तक बहुत संशोधन हो चुके हैं। संविधान का वर्तमान स्वरूप 22 भाग, 445 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों में विभाजित है।

संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य:- संविधान ने भारत में एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्थापित किया है। इसका अर्थ यह है कि भारत की सीमा के अंदर “भारतीय संघ ही सर्वोच्च सत्ता है और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। यह बाह्य अथवा आन्तरिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत की सीमा के अंदर के सभी समुदाय एवं व्यक्ति राज्य की आज्ञा के पालन के लिए बाध्य है। संविधान ने भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात में निहित है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहाँ एक शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है।

समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष राज्य:- संविधान ने भारत में समाजवाद की स्थापना पर बल दिया है। संविधान निर्माताओं ने समाजवाद की स्थापना पर तो बल दिया परन्तु उसको स्पष्ट रूप में उल्लिखित नहीं किया है। भारतीय संविधान ने राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर व्यक्ति एवं सम्पूर्ण समाज के विकास के बीच समन्वय का प्रयास किया है। संविधान ने वर्ग अस्तित्व और राजकीय अस्तित्व दोनों के बीच का रास्ता निकाला है। संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। संविधान द्वारा सभी भारतीयों को अपने-अपने धर्मों के आचरण और प्रचार-प्रसार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि एक धर्म या सम्प्रदाय का व्यक्ति दूसरे धर्म या सम्प्रदाय के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 29 एवं 30 तथा 350 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है। अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार धर्म-निरपेक्षता के समन्वय के लिए प्रदान किए गए हैं।

एकल नागरिकता:- भारत में संघीय शासन प्रणाली होते हुए भी एकल नागरिकता की ही व्यवस्था है। भारत का कोई भी निवासी चाहे वह किसी भी राज्य का हो, वह भारत का नागरिक है। एतएवं अखंडता के साथ-साथ मौलिक एकता पर विशेष बल देने के लिए यहां एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था संघवाद को सुदृढ़ करता है। हाल ही में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के लोगों (विदेशियों) को दोहरी नागरिकता, देने का निर्णय लिया गया है।

मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता:- संविधान निर्माताओं ने संविधान-निर्माण के समय केवल नागरिकों के अधिकारों की ओर ध्यान देते हुए मौलिक अधिकारों की ही रचना की थी। परन्तु बाद के वर्षों में ऐसा महसूस किया गया कि अधिकार के साथ-साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। और उनसे परिचित होना उनके लिए आवश्यक है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51(1) में 11 मूलकर्तव्यों का उल्लेख कर दिया गया। जिनका पालन प्रत्येक भारतीय के कर्तव्य रूप में घोषित किया गया।

वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार:- भारतीय संविधान ने भारत में वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना की है। संविधान में कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, क्षेत्र, भाषा, व्यवसाय आदि के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित वयस्कता की उम्र सीमा पूरी कर ली है, मताधिकार प्राप्त करता है। इसके लिए केवल दो शर्तें रखी गई हैं। पहला-पागल या दिवालिया नहीं होना तथा दूसरा-अपराधी घोषित नहीं होना। वयस्कता की उम्र पहले तो 21 वर्ष थी परन्तु 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र सीमा हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

मौलिक अधिकार:- भारतीय संविधान ने भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है और इस लोकतंत्रीय सरकार की सफलता के लिए जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में छह प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान ने मौलिक अधिकारों की स्पष्टतः व्याख्या कर सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में सात मूल अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग-III से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300(क) में कर दिया गया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता:- भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है। संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखा कि न्यायपालिका को कार्य-पालिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रखा जा सके जो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व:- संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय व्यक्तियों की स्वतंत्रता और राज्य की निरंकुशता को रोकने के लिए एक ओर मौलिक अधिकारों को प्रमुखता प्रदान की। दूसरी ओर व्यक्तियों की निरंकुशता तथा राज्य के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों की भी स्पष्ट व्याख्या की। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्यों को ऐसी सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करनी होती है। जिसके माध्यम से आर्थिक शक्ति का विभाजन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संभव हो सके। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का वर्णन है।

संघीय शासन प्रणाली:- संविधान के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा अर्थात् यहां की शासन-प्रणाली संघीय शासन प्रणाली होगी। अर्थात् संविधान ने भारत में एक केंद्र-सरकार एवं अनेक राज्य सरकारों के गठन का प्रावधान किया है। अधिकारों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया गया है। यदि केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो उसे हल करने का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली तो है परन्तु यह संयुक्त राज्य अमरीका जैसा संघ नहीं है क्योंकि वहां राज्यों ने केंद्र को अधिकार प्रदान किए हैं।

संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय:- भारतीय संविधान संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करता है। भारतीय शासन प्रणाली संसदीय इसलिए है कि यहां राष्ट्रपति जो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, संवैधानिक प्रधान है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। फिर यहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसलिए है कि यहां कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है और राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है।

अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के हितों की रक्षा:- भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों अर्थात् ईसाईयों, पारसियों अछूतों तथा दलित वर्ग के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता को देश में गैर कानूनी घोषित कर उसे समाप्त करने का उपाय भी किया गया है। इसके अलावा इनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारी ने दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करवाया है।

संविधान की सर्वोच्चता:- भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। यहां व्यावहारिक रूप से तो संसद की सम्प्रभुता है पर सिद्धान्ततः भारत में कोई भी कार्य संविधान के उपबंधों के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। संसद भी संविधान के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। केशवानंद भारती केस में दिया गया “आधारभूत संरचना का सिद्धान्त” संविधान की सर्वोच्चता की व्याख्या करता है।

लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान:- भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परिस्थितियों के अनुसार संविधान में पिछले 6 दशकों में अनेक परिवर्तन किए गए हैं फिर भी संविधान की मुख्य अवधारणा आज भी उतनी सार्थक एवं स्वीकार्य है, जितनी इसके निर्माण के समय थी।

न्यायिक पुनर्विलोकन:- भारतीय न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन जैसी पद्धति अपनाई जाती रही है, जो कि किसी भी संविधान के आधारभूत लक्षणों में से है। न्यायिक पुनर्विलोकन को सुरक्षा का वाल्व या संतोलक (संविधान का) कहा जाता है, क्योंकि यह संसदीय सर्वोच्चता की मनमानी से रक्षा कर तार्किक उपाय बताता है।

संविधान का अनुपूरक विधायन:- संसद को विधान बनाकर संविधान की अनुपूर्ति करने के लिए दी गई शक्ति जैसे अनु. 11 संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित विधि का विधायन करे, अनु. 17 में अस्पृश्यता का अंत, 23 में बलात् श्रम को प्रतिबंधित किए जाने से संबंधित विधि संसद ही बना सकती है।

आधारभूत मामलों में एकता:- संविधान में एकीकृत न्यायपालिका के साथ-साथ एकल नागरिकता की व्यवस्था की गयी। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध है। इसमें सभी राज्यों में सिविल और दंडिक प्रक्रिया आधारिक रूप से एक है। तथा अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS, IFS सभी राज्यों के लिए सामान्य है।

लोक कल्याणकारी संविधान:- राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका को परिभाषित करते हैं। जो सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ये राज्य की नीतियों का ऐसा आधार है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एवं संचालित है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा-देश के शासन संचालन का आधारभूत तत्व है।

सामाजिक समानता:- संविधान में राजनैतिक, विधिक तथा सामाजिक समानता का प्रावधान है, अतः धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। अस्पृश्यता का अंत तथा महिला, बच्चे एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए संविधान में विशेष उपबंध है।

विश्व शांति का समर्थक तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल:- भारतीय संविधान सिर्फ भारत की आंतरिक शांति का ही समर्थक नहीं है वरन् विश्व शांति को भी महत्व (अनुच्छेद 51, भाग-4) देता है साथ ही पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके संवर्द्धन [अनुच्छेद 48 a, 51a(g)] को भी बढ़ावा देता है।

विधि का शासन:- विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण जैसी अवधारणा को भारतीय संविधान स्थापित किया है। जिसका उल्लेख मूल अधिकारों के तहत किया गया है।

सरकार की प्रकृति:- भारत एक सम्प्रभु प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। भारत की जनता शासन की शक्ति के स्रोत है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संविधान की विशेषतायें संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती हैं।

संविधान की नकारात्मक विशेषताएं

1. भारतीय संविधान अत्यधिक लम्बा, विस्तृत तथा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। जबकि कुछ धाराओं का समावेश यह सोच कर किया गया कि वे आधारभूत महत्व के हैं और इस कारण सामान्य व्यवस्थापन के स्तर पर उनको छोड़ना नहीं चाहिए।
2. कुछ आलोचकों का मत है कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर निर्वाचित नहीं हुई थी और उसे संप्रभु संस्था भी नहीं कहा जा सकता। यह संविधान सभा मंत्रिमंडल मिशन योजना के आधार पर गठित की गयी थी और इसका गठन ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था।
3. भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग माना गया है। संविधान दुर्बोध अस्पष्ट एवं जटिल भाषा से युक्त है। संविधान के विभिन्न उपबन्धों को विस्तृत एवं असंदिग्ध भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें प्रयुक्त भाषा न्यायालय की भाषा है। भारत के सामान्य नागरिकों के लिए संविधान को समझना कठिन है। इस संविधान को विधि विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं।
4. भारतीय संविधान ने केंद्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बना दिया है। आलोचकों का कहना है कि भारत के संविधान के द्वारा अधिकार केंद्रीय सरकार को सौंप दिये गये हैं और राज्य की स्थिति नगरपालिकाओं के जैसी हो गयी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, एकीकृत न्याय व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं तथा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ हमारे संविधान के प्रमुख एकात्मक लक्षण हैं।
5. भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान विदेशों की नकल हैं। इन आदर्शों और प्रावधानों का भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।
6. जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया था, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, अफ्रीका के संविधान में 253 तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं।

संविधान इतना व्यापक क्यों?

भारतीय संविधान अतीत से सम्बद्ध है, और 1935 का भारतीय अधिनियम, जिसके कई प्रावधानों को भारतीय संविधान में उसी रूप में ले लिया गया है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित सबसे लम्बा प्रलेख था। भारतीय संविधान में 1935 के ढांचे को ही अपनाया गया है। इस कारण संविधान स्वाभाविक रूप से व्यापक हो गया है। संविधान की व्यापकता के अन्य भी कारण हैं:-

1. भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्धों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है इसमें केन्द्रीय शासन के साथ-साथ संघ की इकाईयों के प्रशासनिक ढांचे का भी वर्णन किया गया है।

2. संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबन्धों की व्यवस्था के कारण संविधान के आकार में वृद्धि हो गयी है। इसके अतिरिक्त संविधान में 'राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों' का भी पृथक् अध्याय रखा गया है।
3. संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों और आंग्ल भारतीयों, अनुसूचित जातियों व जनजाति क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष व्यवस्थाएं की हैं।
4. नवजात प्रजातंत्र के लिए संकट के रूप में उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधान के 18वें भाग में संकटकालीन प्रावधानों से सम्बन्धित 9 अनुच्छेदों को स्थान दिया गया है।
5. संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय संविधान में न केवल मूल सिद्धांतों का, वरन् प्रशासनिक प्रबन्धों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रो. श्रीनिवासन के शब्दों में **"भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं वरन् देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से सम्बन्धित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है।"** संविधान में नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाएं, चुनाव, सेवाएं, संविदा और अभियोग व भारतीय क्षेत्र में व्यापार और पारस्परिक व्यवहार, आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाएं भी की गयी हैं।
वस्तुतः भारत में परिस्थितियों की जटिलता और तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण संविधान निर्माताओं के विचार की बातों को परम्पराओं या आगे आने वाली संसद पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही उनका संबंध में व्यवस्था कर लेना उचित समझा।

क्या भारत का संविधान उधार का थैला है?

भारतीय संविधान विश्व के प्रमुख संविधानों के अच्छे तत्वों का समिश्रण है। संविधान निर्माताओं का विचार था कि भारत के लिए एक उत्तम और व्यवहारिक संविधान बनाया जाये। जो देश की प्रगति के लिए सजीव साधन प्रतीत हो सके चूंकि निर्माण के समय अन्य देशों में संविधान चल रहे थे। अतः उनकी अच्छाइयों को शामिल किया गया है। जैसे-

1. **ब्रिटिश संविधान** - राज्य का संवैधानिक प्रमुख, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, निम्न सदन (लोक सभा) का उच्च सदन से शक्तिशाली होना इत्यादि।
2. **अमेरिकी संविधान** - प्रस्तावना, संघवाद, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति के कार्य, संविधान संशोधन न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन न्याय का समान संरक्षण इत्यादि।
3. **आस्ट्रेलियाई संविधान** - समवर्ती सूची तथा केंद्र व राज्यों के गतिरोध की दशा में समाधान में प्रक्रिया में प्रस्तावना की भाषा का उपयोग।
4. **कनाडा का संविधान** - शक्तिशाली राष्ट्र संघ का उल्लेख तथा केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां निहित होना।
5. **जर्मनी का वाइमर संविधान** - आपात उपबंध
6. **जापानी संविधान** - 21वां अनुच्छेद
7. **आयरलैंड का संविधान** - नीति निर्देशक तत्व, राज्य सभा में नामांकित सदस्य।
8. **अफ्रीकी संविधान** - संसद में दो-तिहाई बहुमत से संशोधन, राज्य विधान मण्डलों द्वारा राज्य सभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन
9. **फ्रांसीसी संविधान** - गणतंत्रात्मक प्रणाली, संवैधानिक संशोधन, न्यायिक निर्णय संविधियां, अध्यादेश, नियम, विनियम, आदेश आदि प्रथाएं एवं अभिसमय संवैधानिक टीकाएं एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार।
10. **सोवियत संघ** - 42वें संविधान शोधन द्वारा शामिल मूल कर्तव्यों के प्रेरणास्रोत रूस और इटली के संविधान हैं।

उपरोक्त आधारों पर ही भारतीय संविधान को **उधार का थैला** कहा जाता है। लेकिन निर्माताओं ने देश की परिस्थिति व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल अपने अनुसार विषय वस्तुएं ग्रहण की जैसे ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई एकात्मक नहीं, अमेरिका से मूल अधिकार लिया यथा संघात्मक नहीं, संविधान संशोधन के द्वारा बार-बार परिवर्तन भी किया जाता है। इन बातों से स्पष्ट है कि संविधान के स्रोत अनेक संविधान हैं फिर भी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है अतः उधार का थैला कहना तर्क संगत नहीं है।

संविधान समीक्षा आयोग

भारतीय संविधान समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया की अध्यक्षता में 2000 में गठित किया गया। देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की संभावनाओं को अस्वीकार करते हुए आयोग को संसदीय लोकतंत्र के तहत संविधान की समीक्षा करने को कहा गया। यद्यपि कि संसदीय व्यवस्था एक आधारित लक्षण है और इसे किसी संविधान संशोधन द्वारा बदला भी नहीं जा सकता। एन. डी. ए. सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि संविधान के आधारित लक्षणों के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की जाएगी। 23 मार्च 2000 के सम्पन्न संविधान समीक्षा आयोग की पहली बैठक में समीक्षा के लिए आठ क्षेत्रों की पहचान की गई:-

- | | |
|---|---|
| 1. दल-बदल का मामला। | 2. गरीबी उन्मूलन पर संवैधानिक प्रावधान। |
| 3. अनु. 156, राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी। | 4. सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतीराज। |
| 5. मूल अधिकारों का विस्तार। | 6. नीति-निर्देशक सिद्धांत। |
| 7. मूल-कर्तव्य। | 8. वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियां |

आयोग की इस बैठक में आयोग के कामकाज एवं अधिकार के बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि इसका काम संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना है, न कि संविधान को फिर से लिखना, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों के लिए 10

विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया गया। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल आस्टिन का मानना है कि किसी भी देश की राजनीति आमतौर पर वहाँ की परिस्थितियों एवं संस्कृतियों की देन होती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि संविधान में रातो-रात संशोधन करने से देश की राजनीति क्या उसी अनुपात में बदल जाएगी। आवश्यकता किसी संरचना में परिवर्तन की नहीं बल्कि मनोवृत्ति एवं नियत में परिवर्तन की है।

आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है और आगे की प्रक्रिया एवं कार्यवाही विचाराधीन हैं आयोग ने और कुछ किया हो या नहीं, इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि उसने संवैधानिक निरक्षरता को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान के सामायिक जागरूकता को बढ़ाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि- **कोई दुर्ग कितना ही मजबूत क्यों न हो, उसे भी समय-समय पर सफाई एवं मरम्मत की आवश्यकता होती है।** यह बात संविधान के बारे में भी लागू होती है।

संविधानवाद

संविधानवाद का अर्थ है कि संविधान सर्वोपरि है। जब किसी देश अथवा समाज में सारे कार्य संवैधानिक प्रावधानों, इन प्रावधानों के आधार पर बनी विधियाँ, कानूनों तथा संवैधानिक परम्पराओं के अनुरूप किये जाते हैं और कोई भी संविधान के ऊपर नहीं जा सकता हो तो उसे संविधानवाद की स्थिति कहते हैं।

संविधानवाद के तहत यह व्यवस्था होती है तो किसी भी कीमत पर किसी भी संस्था द्वारा शासन के आधारभूत सिद्धांतों का कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधानवाद के माध्यम से प्रभावी शासन-व्यवस्था की स्थापना की जाती है।

संविधान एवं संविधानवाद में तुलना

आधार	संविधान	संविधानवाद
1. परिभाषा	एक संगठन का प्रतीक है। जिसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श निहित होते हैं।	यह विचारधारा का प्रतीक है। जिसमें शासन शक्तियों व शासको के अधिकारों के सम्बन्धों का समायोजन होता है।
2. उत्पत्ति	संविधान साधारणतया निर्मित होते हैं जो समय के साथ, आवश्यकताओं के अनुरूप औपचारिक संशोधनों व परंपराओं के माध्यम से परिवर्तित होते हैं।	संविधानवाद सदैव विकास का प्रतिफल रहा है।
3. प्रकृति	यह लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों की व्यवस्था है।	इसमें प्रधानता समाज के लक्ष्यों व उद्देश्यों की होती है।
4. क्षेत्र	यह अपवर्जन (Exclusive) धारणा है। अतः संविधान अनेको देशों में अलग-अलग होता है।	यह अन्तर्भूतकारी (Inclusive) धारणा है। अतः संविधान अनेक देशों में एक-सा होता है।
5. वैद्यता	इसके औचित्य का निर्धारण विधि के आधार पर होता है।	आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन विचारधारा के आधार पर होता है।

प्रारम्भिक एवम् मुख्य परीक्षा के लिए कुछ स्मरणीय तथ्य

अंतरिम मंत्रीमंडल (1946)

1. जवाहर लाल नेहरू	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
2. वल्लभ भाई पटेल	गृह सूचना तथा प्रसारण
3. बलदेव सिंह	रक्षा
4. सी. राजगोपालचारी	शिक्षा
5. सी.एच.भाभा	कार्य, खान तथा बन्दरगाह
6. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
7. आसफ अली (मुस्लिम लीग)	रेलवे
8. जगजीवन राम	श्रम
9. लियाकत अलीखां (मुस्लिम लीग)	वित्त
10. आई. आई. चुन्दरीगर (मुस्लिम लीग)	वाणिज्य
11. अब्दुल रबनशतर (मुस्लिम लीग)	संचार
12. जोगेन्द्र नाथ मण्डल (मुस्लिम लीग)	विधि
13. गजनफर अलीखां (मुस्लिम लीग)	स्वास्थ्य
14. जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति विभाग

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

1. जवाहर लाल नेहरू	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध
2. सरदार बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्य के मामले
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	शिक्षा
5. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	रेलवे एवं परिवहन
6. आर. के. षमुगम शेटी	वित्त
7. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	विधि
8. जगजीवन राम	श्रम
9. सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10. राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य (पहली महिला मंत्री)
11. सी. एच. भाभा	वाणिज्य
12. रफी अहमद किदवाई	संचार
13. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं ऊर्जा
14. वी. एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा?

मूल संविधान (1949) में भारत संघ

भाग (क) राज्य	भाग (ख) राज्य	भाग (ग) राज्य	भाग (घ) राज्य
1. असम	1. हैदराबाद	1. अजमेर	1. अंडमान
2. बिहार	2. जम्मू-कश्मीर	2. भोपाल	2. अर्जित राज्य क्षेत्र
3. मुंबई	3. मध्य भारत	3. विलास पुर	
4. मध्य प्रदेश	4. मैसूर	4. कुच-बिहार	
5. मद्रास	5. पटियाला एवमं पूर्वी पंजाब	5. कुर्ग	
6. उड़ीसा	6. राजस्थान	6. दिल्ली	
7. पंजाब	7. सौराष्ट्र	7. हिमाचल प्रदेश	
8. संयुक्त प्रांत	8. त्रिस्तुवा कुट-कोची	8. कच्छ	
9. पश्चिमी बंगाल	9. विन्ध्य प्रदेश	9. त्रिपुरा	

भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्य संख्या

	सदस्यों की संख्या		सदस्यों की संख्या
1. मद्रास	49	7. मध्य प्रांत और बरार	17
2. मुंबई	21	8. असम	8
3. पश्चिम बंगाल	19	9. उड़ीसा	9
4. संयुक्त प्रांत	55	10. दिल्ली	1
5. पूर्वी पंजाब	12	11. अजमेर-मेरवाड़ा	1
6. बिहार	36	12. कोड़गू	1
1. अलवर	1	17. उदयपुर	2
2. बड़ौदा	3	18. सिक्किम और कूच बिहार समूह	1
3. भोपाल	1	19. त्रिपुरा, मणिपुर और खासी राज्य समूह	1
4. बीकानेर	1	20. संयुक्त प्रांत राज्य समूह	1
5. कोचीन	1	21. पूर्वी राजपूताना राज्य समूह	3
6. ग्वालियर	4	22. मध्य भारत राज्य समूह	
7. इंदौर	1	(बुंदेलखंड और मालवा को मिलाकर)	3
8. जयपुर	3	23. पश्चिमी भारत राज्य समूह	4
9. जोधपुर	2	24. गुजरात राज्य समूह	2
10. कोल्हापुर	1	25. दक्षिण और मद्रास राज्य समूह	2
11. कोटा	1	26. पंजाब राज्य समूह	3
12. मयूरभंज	1	27. पूर्वी राज्य समूह I	4
13. मैसूर	7	28. पूर्वी राज्य समूह II	3
14. पटियाला	2	29. अवशिष्ट राज्य समूह	4
15. रीवा	6		299
16. त्रावणकोर			